


विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-12.10.2017 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-


उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. विशेष सचिव द्वारा जिलावार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित महालेखाकार को उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गयी:-


- (i) डुडा-1, पटना- जिला पदाधिकारी से सम्पर्क नहीं किया गया, जिस पर विशेष सचिव द्वारा अप्रसन्ता प्रकट की गयी।
- (ii) डुडा-2, पटना - कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है, सम्पर्क करने का निदेश दिया गया है। नवम्बर तक महालेखाकार को अंकेक्षण संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (iii) नालन्दा- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है, सम्पर्क करने का निदेश दिया गया है। नवम्बर तक महालेखाकार को अंकेक्षण संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (iv) रोहतास- कनीय अभियंता उपस्थित थे। बताया गया कि जिला पदाधिकारी के यहाँ से रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। निदेश दिया गया कि नवम्बर तक महालेखाकार को अंकेक्षण संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।
- (v) भोजपुर- कनीय अभियंता उपस्थित थे। महालेखाकार से सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं दी गयी है। नवम्बर तक अंकेक्षण संबंधी अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (vi) बक्सर- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि तैयार किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के पास भेजना है, नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (vii) मुजफ्फरपुर- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजा गया है, 15 नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (viii) पू० चम्पारण- कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।







- (ix) वैशाली— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि तैयार कर दिया गया है, नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (x) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xi) शिवहर— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xii) बेगूसराय— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xiii) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xiv) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xv) सहरसा— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xvi) गया— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xvii) नवादा— अनुपस्थित थे।
- (xxviii) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xix) अरवल— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xx) पूर्णियाँ— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xxi) कटिहार— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xxii) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xxiii) सारण— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xxiv) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xxv) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता को वेबसाईट से डाउनलोड करने का निदेश दिया गया एवं नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।









- (xxvi) समस्तीपुर— सहायक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xxvii) भागलपुर— सहायक अभियंता को नवम्बर तक अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- (xxviii) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता को डाउनलोड कर नवम्बर तक भेजने का निदेश दिया गया।

सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे अंकेक्षण बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर तथा जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त महालेखाकार को अंकेक्षण संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभाग के स्तर से भी महालेखाकार को अनुरोध किया जा सके।

सभी कार्यपालक अभियंता को बैंक विवरणी के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र A, B एवं C के अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) अररिया— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बैंक से स्टेटमेंट लाये है, विभाग में जमा किया गया है।
- (ii) अरवल— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बैंक डिटेल भेज देंगे।
- (iii) बांका— अनुपस्थित।
- (iv) आरा— कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रपत्र-C जमा नहीं है, विभाग में शीघ्र जमा करने का निदेश दिया गया।
- (v) बक्सर— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रपत्र-C जमा नहीं है, प्रपत्र-C जमा करने का निदेश दिया गया।
- (vi) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रपत्र-C जमा नहीं है। C, D उपलब्ध कराया गया है, प्रपत्र-C एवं C.D भेजने का निदेश दिया गया।
- (vii) गया— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रपत्र A, B रिपोर्ट जमा है। प्रपत्र-C जमा नहीं है। प्रपत्र-C भेजने का निदेश दिया गया।
- (viii) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B, C प्रपत्र भेज दिया गया है।
- (ix) सिवान— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A.B.C प्रपत्र भेज दिया गया है।
- (x) जमुई— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A.B.C प्रपत्र आज जमा किये है। नया format में नहीं होने के कारण पुनः नया format में जमा करने का निदेश दिया गया।





- (xi) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A,B,C प्रपत्र जमा है।
- (xii) कटिहार— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A प्रपत्र भेज दिया गया है। B एवं C प्रपत्र को पुनः भेजने का निदेश दिया गया।
- (xiii) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B प्रपत्र जमा किये हैं। C प्रपत्र को भेजने का निदेश दिया गया।
- (xiv) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B, C प्रपत्र भेज दिया गया है।
- (xv) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B प्रपत्र भेज दिये हैं। निदेश दिया गया कि C प्रपत्र शीघ्र भेजे।
- (xvi) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B, C प्रपत्र जमा कर दिये हैं।
- (xvii) नालन्दा— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B, C प्रपत्र जमा कर दिया गया है। पुनः C प्रपत्र को भेजने का निदेश दिया गया।
- (xviii) डुडा-1, पटना — कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मेल से A, B, C प्रपत्र भेज दिये हैं।
- (xix) डुडा-2, पटना — कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B प्रपत्र जमा कर दिये हैं। C प्रपत्र को भेजने का निदेश दिया गया।
- (xx) सारण— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि A, B, C प्रपत्र भेज दिया गया है।
- (xxi) शेखपुरा— अनुपस्थित
- (xxii) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B प्रपत्र भेज दिया गया है। C प्रपत्र को भेजने का निदेश दिया गया।
- (xxiii) सुपौल— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B, C प्रपत्र भेज दिया गया है।
- (xxiv) वैशाली— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि A, B, C प्रपत्र भेज दिया गया है।

निदेश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता शीघ्रताशीघ्र वांछित सभी प्रपत्र A, B एवं C की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी विभाग को उपलब्ध करायें।

सभी कार्यपालक अभियंताओं से Assets एवं Liability से संबंधित प्रतिवेदन को विभाग में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-


- (i) कटिहार— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मेल पर भेज दिये हैं।
- (ii) छपरा— कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज रिपोर्ट दे देंगे।
- (iii) सारण— कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज रिपोर्ट दे देंगे।


- (iv) भोजपुर— कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि सॉफ्ट कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भेजने का निदेश दिया गया।
- (v) कटिहार— रिपोर्ट प्राप्त है।
- (vi) आरा— रिपोर्ट प्राप्त है।
- (vii) मुजफ्फरपुर— रिपोर्ट प्राप्त है।
- (viii) डुडा-1, पटना— रिपोर्ट प्राप्त है।
- (ix) दरभंगा— रिपोर्ट प्राप्त है।
- (x) नालन्दा— रिपोर्ट प्राप्त है।
- (xi) समस्तीपुर— सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि मेल द्वारा भेज दिया गया है।
- (xii) औरंगाबाद— रिपोर्ट प्राप्त है।
- (xiii) शेखपुरा— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट भेज दिया गया है।
- (xiv) सिवान— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सॉफ्ट कॉपी MIS को भेज दिया गया है।
- (xv) डुडा-2, पटना— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सॉफ्ट कॉपी MIS को भेज दिया गया है।
- (xvi) गया— सॉफ्ट कॉपी अप्राप्त है, शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xvii) बक्सर— सॉफ्ट कॉपी अप्राप्त है, शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xviii) कैमूर — कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि आज जमा कर दिये है।
- (xix) मुंगेर — कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि MIS पर भेज दिया गया है।
- (xx) भागलपुर— सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि MIS पर भेज दिया गया है।
- (xxi) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि MIS पर भेज दिया गया है।
- (xxii) वैशाली— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
- (xxiii) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि MIS पर भेज दिया गया है।
- (xxiv) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि MIS पर भेज दिया गया है।
- (xxv) जमुई— कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि MIS पर आज भेजेंगे।
- (xxvi) अररिया— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि MIS पर दिनांक-11.10.2017 को भेज दिया गया है।
- (xxvii) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि आज दिया गया है।

- (ix) जहानाबाद— 210.00 लाख का U.C, जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है।
- (x) कैमुर— 245.75 लाख राशि शेष है। 88.68 लाख का UC, जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है।
- (xi) किशनगंज— R.W.D द्वारा राशि लौटाई नहीं जा रही है। R.W.D को जिला पदाधिकारी के स्तर से पत्र भेजवाने का निदेश दिया गया।
- (xii) मधेपुरा— 528.72 लाख शेष है। इस संबंध में विभाग को स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- (xiii) मधुबनी— 157.00 लाख शेष है। 149.00 लाख U.C तैयार कर जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है।
- (xiv) डुडा-1, पटना— 219.8 लाख शेष है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त राशि R.W.D द्वारा वापस करना है।
- (xv) सहरसा— 80.00 लाख शेष है। U.C, जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है।
- (xvi) समस्तीपुर— 50.00 लाख शेष है। U.C शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xvii) शेखपुरा— 8.00 लाख शेष है। U.C शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xviii) शिवहर — 1.56 लाख शेष है। U.C तैयार कराया जा रहा है। शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xix) सिवान— 19.00 लाख शेष है। U.C शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xx) सुपौल— 3.08 लाख शेष है। U.C शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xxi) पं० चम्पारण— 1184.00 लाख शेष है। 445.00 लाख का U.C जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है। 138.91 लाख का U.C बनाया जा रहा है।
- (xxii) कटिहार— 2.46 लाख का U.C जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है।

विभिन्न नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) पटना— कार्यपालक अभियंता को प्रतिवेदन जमा करने का निदेश दिया गया।
- (ii) पूर्णियाँ— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जमीन मिल गया है। शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (iii) कटिहार— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है तथा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।





- (iv) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि परिमाण विपत्र विभाग में जमा है, परन्तु परिमाण विपत्र विभाग से अनुमोदनोपरान्त भेज दिया गया है।
- (v) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में जमीन उपलब्ध हो जाएगा।
- (vi) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य प्रारम्भ हो गया है।
- (vii) चकिया (मोतिहारी)— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि निविदा का निष्पादन विभाग से कर दिया गया है।
- (viii) बोधगया— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है।

विभिन्न नगर निकायों में प्रशासनिक भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायक अभियंता की मांग की गई।
- (ii) बगहा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि दर प्रक्रमण हेतु विभाग से पत्र निर्गत किया गया है।
- (iii) सिवान— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि काम शुरू हो गया है। नवम्बर तक पूरा कर दिया जाएगा।
- (iv) बक्सर— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि एकरारनामा हो गया है। कार्य शुरू हो जाएगा।
- (v) बाढ़— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि नगर निकाय को हस्तानान्तरण कर दिया गया है।
- (vi) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि नवम्बर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- (vii) मोतिहारी— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। नगर परिषद को राशि लौटाने का निदेश दिया गया।
- (viii) बेनीपुर— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि हस्तानान्तरण की कार्रवाई की जा रही है।
- (ix) अरवल— कार्यपालक अभियंता, द्वारा जानकारी नहीं दी गयी। विभाग द्वारा परिमाण विपत्र की मांग की गयी थी।
- (x) सुलतानगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि निविदा हो चुका है। C/S तैयार करने का निदेश दिया गया।
- (xi) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि विभाग में दिनांक— 14.09.2017 को जमा किया गया है। समीक्षा करना शेष है।
- (xii) रक्सौल— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि संवेदक को दर वार्ता हेतु पत्र भेजा गया है।

- (xiii) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि तुलनात्मक विवरणी विभाग में लंबित है, परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा अनियमित तरीके से निविदा के संबंध में विभाग द्वारा पृच्छा की गई है एवं उत्तर संतोषजनक नहीं रहने के कारण निविदा रद्द करने का निदेश दिया जा रहा है।
- (xiv) अरेराज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। हस्तानान्तरण करने का पत्र निर्गत किया गया है।
- (xv) केसरिया— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है। शेष आवंटन की मांग की गयी है।
- (xvi) नोखा (सासाराम)— कनीय अभियंता, द्वारा बताया गया कि विभाग में भेजा गया है।
- (xvii) रोसड़ा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। हस्तानान्तरण करने का पत्र निर्गत किया गया है।
- (xviii) मनिहारी — कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो जाएगा। कुछ भाग में अतिक्रमण है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक पहल करें।
- (xix) मीरगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण है तथा भवन का हस्तानान्तरण कर दिया गया है।
- (xx) महाराजगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि भवन संरचना पूर्ण है। शेष कार्य नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (xxi) रिविलगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि अक्टूबर में कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- (xxii) विक्रम— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य प्रगति पर है।
- (xxiii) ठाकुरगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य नवम्बर तक पूर्ण हो जायेगा।
- (xxiv) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि एक से दो दिनों में कार्य शुरू हो जाएगा।
- (xxv) पीरो— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि बिजली, पानी का कार्य शेष है। नवम्बर तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- (xxvi) दिघवारा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 10 प्रतिशत कार्य शेष है। आवंटन विभाग से निर्गत हो गया है।
- (xxvii) बैरगनिया— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि निविदा प्रकाशन हेतु भेज दिया गया है, 4 नवम्बर को निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि है।
- (xxviii) जयनगर— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का हस्तानान्तरण हो चुका है।

- (xxix) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता को दर वार्ता के लिए पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है।
- (xxx) एकमाबाजार— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा अक्टूबर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- (xxxii) परसाबाजार— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य शुरू हो जाएगा। विलंब के लिए संवेदक पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (xxxiii) महुआ (वैशाली)— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराये।

मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनाओं के अन्तर्गत लंबित योजनाओं के संबंध में वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है:-

- (i) अररिया— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 5.57 लाख राशि लंबित है।
- (ii) औरंगाबाद— कनीय अभियंता, द्वारा बताया गया कि 4.88 लाख राशि लंबित है।
- (iii) अरवल— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 61.80 लाख रू० शेष है। 20.00 लाख खर्च हो पायेगा।
- (iv) बेगूसराय— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 1928.12 लाख राशि शेष है। 17 योजनाओं का प्राक्कलन भेजा गया है। तीन स्टेडियम है, बताया गया कि राशि खर्च हो जाएगा।
- (v) भोजपुर— कनीय अभियंता, द्वारा बताया गया कि 1879.04 लाख राशि शेष है।
- (vi) बक्सर— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 297.46 लाख रू० राशि शेष है। योजना पूर्ण होने के बाद 60.00 लाख राशि शेष बच जाएगा।
- (vii) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 321.77 लाख राशि शेष है। व्यय होने के बाद शेष राशि लौटाने का निदेश दिया गया।
- (viii) पूर्वी चम्पारण— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 513.69 लाख रू० शेष है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि राशि की समीक्षा जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (ix) गया— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 1417.22 लाख रू० राशि जिला पदाधिकारी के खाता में जमा है।
- (x) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि अभी तुरंत चार्ज लिये है। समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया गया।
- (xi) जमुई— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 234.91 लाख रू० राशि शेष है। 80.00 लाख रू० व्यय होगा।
- (xii) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 132.33 लाख रू० व्यय सम्भावित है।

- (xiii) कैमुर— कार्यपालक अभियंता उपस्थित नहीं थे, उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 65.48 लाख रू० राशि शेष है।
- (xiv) कटिहार— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 323.59 लाख राशि शेष है। लगभग 200.00 लाख राशि व्यय होने की सम्भावना है।
- (xv) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 181.28 लाख राशि शेष है। 94.00 लाख डुडा को प्राप्त है। शेष राशि नगर परिषद को लौटाया गया है।
- (xvi) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 328.61 लाख राशि शेष है। राशि लौटाने का निदेश दिया गया।
- (xvii) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 75.93 लाख रू० राशि शेष है। स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया।
- (xviii) मधुबनी — कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 114.77 लाख रू० राशि शेष है। 42 लाख राशि खर्च सम्भावित है। शेष राशि लौटाने का निदेश दिया गया।
- (xix) मुजफ्फरपुर— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 952.00 लाख राशि शेष है। 397.00 लाख राशि नगर निकाय को वापस किया गया है।
- (xx) नालन्दा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 6.57 लाख राशि शेष है। व्यय होने की सम्भावना है।
- (xxi) नवादा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 346.35 लाख राशि शेष है। 38.70 लाख रू० राशि नगर निकाय को वापस किया गया है।
- (xxii) हिसुआ— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि नगर निकाय को 6.03847 लाख राशि वापस किया गया है।
- (xxiii) वारसलीगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि नगर निकाय को 35.20932 लाख वापस किया गया है।
- (xxiv) शेखपुरा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 1.06 करोड़ राशि शेष है। 40.00 लाख सम्भावित खर्च होगा। 62.00 लाख नगर निकाय को दिया जाएगा।
- (xxv) पूर्णियाँ— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 352.74 लाख रू० शेष है।
- (xxvi) डुडा-1, पटना— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 269.65 लाख राशि शेष है। दिसम्बर तक खर्च हो जाएगा।
- (xxvii) डुडा-2, पटना— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 17.95 लाख खर्च हो जाएगा।
- (xxix) रोहतास— कनीय अभियंता, द्वारा बताया गया कि 364.41 लाख रू० राशि शेष है। 270.00 लाख खर्च होगा। शेष राशि लौटाने का निदेश दिया गया।

- (xxx) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 193.82 लाख राशि शेष है। 120.00 लाख खर्च होगा। शेष राशि लौटाने का निदेश दिया गया।
- (xxxix) समस्तीपुर— सहायक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 401.34 लाख राशि शेष है। 228.00 लाख नगर निकाय को भेजा जाएगा। शेष राशि लौटाने का निदेश दिया गया।
- (xxxixii) भागलपुर— 1753.48 लाख राशि शेष है। सहायक अभियंता द्वारा जानकारी नहीं दी गयी।

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की भौतिक स्थिति की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है:-

- (i) भागलपुर— सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि एक योजना 75% पूर्ण है। शेष तीन योजना लम्बित है।
- (ii) रोहतास— कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि 44 योजना अपूर्ण है। 34 योजना विवाद में है। जिला पदाधिकारी को वस्तु स्थिति संबंधी पत्र भेजा गया है। 10 योजना नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (iii) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 4 योजना लम्बित है, नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (iv) सारण— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 7 योजना लंबित है, एक योजना को बंद किया गया है। शेष योजना नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (v) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 3 योजना लंबित है। एक कार्य प्रगति में है। शेष अनुमोदन हेतु विभाग में भेजा गया है।
- (vi) सिवान— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 2 योजना लंबित है। नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (vii) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 2 योजना लंबित है। एक योजना नवम्बर तक पूर्ण हो जाएगा। एक कार्य प्रगति पर है।
- (viii) वैशाली— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 06 योजना लंबित है। 4 योजना जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा। 2 योजना drop होगा।
- (ix) पं० चम्पारण— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 04 योजना लंबित है। दिसम्बर तक पूर्ण हो जाएगा।
- (x) सारण— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 988.13 लाख राशि शेष है। 485.00 लाख राशि नगर निकाय को भेजा गया। शेष राशि का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (xi) शिवहर— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 1.13 लाख राशि शेष है। शीघ्र लौटाया जाएगा।
- (xii) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 284.63 लाख शेष है। समीक्षा कर खर्च की जाएगी।

- (xiii) सिवान— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 136.22 लाख राशि शेष है। नवम्बर तक खर्च हो जाएगा।
- (xiv) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 20.64 लाख राशि शेष है। बताया गया कि खर्च हो जाएगा।
- (xv) वैशाली— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 94.00 लाख राशि लौटाया जाएगा।
- (xvi) पं० चम्पारण— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि 889.02 लाख राशि शेष है। 138.00 लाख राशि छोड़कर सभी राशि खर्च हो चुका है। 445.00 लाख जमा कर दिया गया है।

अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

11 नवम्बर 2017 अफिस लो 236/2017

1.11.17
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-

1336

पटना, दिनांक- 01/11/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, बुडा को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

असि

असि

1.11.17
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग